Review Article
Paper ID: SDES-IJIR 92

SDES-International Journal of Interdisciplinary Research
(Peer Reviewed/Refereed Journal)
Crossref DOI:10.47997/SDES-IJIR/2.5.2021. ISSN (O): 2582:7162
https://shreedadueducational.com/journal

भू राजस्व प्रशासन में तहसीलदार संवर्ग में भर्ती व्यवस्था

डॉ. रजनी चौधरी
सहायक आचार्य
राम कृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नायला,जयपुर
Corresponding Email:- rajdsc@gmail.com

प्रस्तावना

प्राचीनकाल से भारत में राजा को भूमि का स्वामी माना जाता था तथा भूमि से प्राप्त लगान ही उसकी आय का प्रमुख साधन होता था।भूमि पर राजा के अधिकार की पुष्टि अनेक गुप्तकालीन अभिलेखों से होती है तथा इसमें राजकोष को जाने वाले करो से पूर्ण तथा मुक्त खेत एवं संपूर्ण ग्राम के दान का उल्लेख किया गया है। प्राचीनकाल में गांव वित्तीय प्रशासन कि निम्न इकाई के रूप में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। आज लगभग 70ः जनता कृषि व्यवसाय पर पूर्ण रूप से आश्रित है। कृषिकार्य से संबंधित ग्रामीण जनता का संपर्क ग्रामीण प्रशासन के उच्चतम अधिकारी तहसीलदार से होता है। अतः ग्रामीण जनता अपने भूमि संबंधी कार्यों का संपादन भू–राजस्व प्रशासन के उच्च अधिकारी तहसीलदार के अंतर्गत रहकर संपन्न करतेहैं। ग्रामवासियों का कल्याण तथा खुशी सामान्य ग्राम प्रशासन पर निर्भर करतीहै। ग्रामीण जनता के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि से संबंधित अन्य व्यवसाय है। भारत में सभी ग्रामीणों का अपनी भूमि के प्रति अटूट लगाव भूमि के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन भूमि को नहीं छोड़ना चाहते हैं व्यक्तियों के भूमि संबंधी अधिकारों के हितों के कार्य तहसीलदार द्वारा किए जातेहैं। तहसीलदार राज्य प्रशासन की आवश्यकता व महत्वपूर्ण कड़ी ही नही बल्कि ग्राम प्रशासन की आधारशिला भी है। तहसीलदार को गांव का टाउनशिप अधिकारी कहां गया है।तथा एक अन्य परिभाषा में तहसीलदार को जिले में

राजस्व व सामान्य प्रशासन की दूरी कहा गया है I जबकि अन्य परिभाषा में तहसीलदार को भूमि अधिकारियों तथा कलेक्टर के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाताहै I

मुख्य शब्द: भू राजस्व प्रशासन, तहसीलदार संवर्ग, भर्ती व्यवस्था

Received	Accepted	Available online
09/09/2021	15/10/2021	01/11/2021

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

भू राजस्व कार्यालय तहसीलदार इतिहास में अनेकनामों से मिलता है। महाभारत में भी तहसील पुरानी राजस्व प्रशासन का पद है उतना ही पुराना तहसीलदार का पद है। तहसीलदार का पद व तहसीलदार इस व्यवस्था भारत में ब्रिटिश शासन से पूर्वी चंपारण में इस पद का उल्लेख करतेहुए नार्मल अहमद ने अपने शोध और शोध ग्रंथ में बताया है की दीवान–ए–आलाजो कि मुगल साम्राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। वह तहसीलदार या राज्य के कार्यों के संग्रहण कर्ता की नियुक्ति करता था। आईने– ए– अकबरी मे तहसील शब्द का उल्लेख नहीं मिलता पर तहसीलदार का उल्लेख मिलता है। यह कहना उचित नहीं है कि तहसीलदार या तहसीलदारी व्यवस्था ब्रिटिश शासन की देनहै। मुगल काल में नौकर शाही का प्रभाव शहरों तथा शासन प्रशासन के निम्न स्तर पर नियुक्ति व्यक्ति अमीन/तहसीलदार/मामलतदार अधिकांश गैर मुसलमान थे। जो तहसील यह तालुक स्तर पर किसी प्रमुख नौकर शाही का अंग ना होकर स्थानीय प्रशासन के अधीनस्थ कर्मचारियों के रूप में कार्यरत थे। निम्नस्तरीय अधीनस्थ अधिकारी तुरंत गांव वालों के संपर्क में आते थे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि तहसीलदार उतना व्यवस्थित नहीं था। जितना आज है। और

Crossref DOI:10.47997/SDES-IJIR/2.5.2021. ISSN (O): 2582:7162
https://shreedadueducational.com/journal

यह व्यवस्थित रूप ब्रिटिश शासन की देन है। ग्राम प्रशासन का स्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् विस्तृत हुआहै। पूर्व में जहां यह भूराजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण इकाई रूप में रहा वही वर्तमान में इसका महत्वभू–राजस्व के साथ–साथ विकास प्रशासन के क्षेत्र में बड़ा है। और आज ग्राम विकास प्रशासन की महत्वपूर्ण इकाई बन गयाहै। भारत में ऐसे प्रयास किए जाए जिससे ग्राम स्तर पर पंचायती राज और भू–राजस्व प्रशासन एक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है तथा ग्रामीण जनता का जितना अधिक संपर्क भू – राजस्व प्रशासन से होता है उतना संभवत अन्य किसी भी प्रशासनिक इकाई से नहीं होता है। भू–राजस्व व्यवस्था भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का आधार है। और इसी इसके आधार पर ही जिला प्रशासन व राजस्व प्रशासन का निर्माण किया गयाहै। भूमि व्यवस्था है। सरकार का भू–राजस्व पर अधिकार व विभिन्न वर्ग के लोगों का भूमि पर अधिकार स्पष्ट करती ह ैइसलिए भू–राजस्व व्यवस्था व भू–राजस्व की प्रकृति साधारण से लेकर जटिल तक है।

इसके अतिरिक्त जनहित के अन्य महत्वपूर्ण कार्य जैसे प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा, बाढ़, सूखा तथा अकाल राहत कार्य राष्ट्रीय हित के कार्य जैसे जन गणना, पशु गणना, मूलनिवास प्रमाण पत्र. मतदाता सूची, विवाह प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आदि भू राजस्व प्रशासन के अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा ही प्रदर्शित किए जाते हैं। राजस्थान में तहसीलदार पद क्षेत्रीय संगठन के अंतर्गत एक सेवा जिसे राजस्थान तहसीलदार सेवा कहा जाता है। अधीनस्थ सेवाओं के अंतर्गत आता है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम 1956 बनाए जो 12 .9. 1956 से प्रभावी बने तहसीलदार राजस्व राज्य अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत राजपत्रित अधिकारी है। राजस्थान राजस्व मंडल के अध्यक्ष तहसीलदार के अधिकृत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है। राजस्थान में तहसीलदारों के पदों का पूर्ण विवरण

अग्रलिखित है। राजस्थान राज्य संघात्मक शासन का एक अंग है। तहसील प्रशासन उसका एक संगठनहै। जो कि भू–राजस्व संबंधी मामलों से संबंधित है। तहसील प्रशासन जहां राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक राजस्व न्यायालय है। वही यह प्रशासनिक कार्य का निष्पादन भी करता है। यह दोनों चीजें तहसील प्रशासन में आपस में मिली हुई है। राजस्व प्रशासन संबंधित समस्याओं के निपटारे के लिए देश के विभिन्न राज्यों में तहसील प्रशासन किसी न किसी रूपमें कार्य करता है। बंगाल में बिहार राज्य ही देश के ऐसे राज्य हैं। जहां तहसील प्रशासन नहीं पाया जाता ।

1–केडर स्टेंथ

ए–तहसीलदार

क्रमांक–संख्या	विवरण	स्वीकृति
1	राजस्वतहसीलदार के पद	232
2	उप–पंजीयक	114
3	तहसीलदारों के विवधि पद	218
	योग	665

बी–नायब तहसीलदार

क्रमांक–संख्या	विवरण	स्वीकृति
1	तहसीलों एवंउप–तहसीलोंमेंनायबतहसीलदारों के पद	495
2	नायबतहसीलदार के विवधि पद	458
	योग	953

साहित्य की समीक्षा

किसी भी विषय में शोध प्रारंभ करने से पूर्व उससे संबंधित लिखित साहित्य का अध्ययन न केवल वांछनीय होता है बल्कि शोध कर्ता को उचित दिशा भी प्रदान करता है अतः शोधकर्ता ने निम्न शोध साहित्य की गहनता से अध्ययन किया है।

- श्रीराम महेश्वरी अपनी पुस्तक भारतीय प्रशासन 2004 में लोक सेवाएं भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा केंद्रीय सिविल सेवा पर प्रकाश डाला है तथा सेवाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया है।
- रामेश्वर सिंह ने अपनी पुस्तक लोक प्रशासन 2006 में काम में प्रबंधन में

भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, भ्रष्टाचार, मनोबल तथा अन्य पक्षों पर प्रकाश डाला है।

- यादराम कौर ने 2007 में अपनी पुस्तक तहसीलदार में तहसीलदार के पद की महत्वता कानूनी प्रशासनिक एवं राजस्व के क्षेत्र में अपनी अहम् भूमि का को उजागरकियाहै।
- हरीशचंद्र शर्मा 2008 ने अपनी पुस्तक लोक प्रशासन में लोक सेवामें भर्ती व प्रशिक्षण पदोन्नति अनुशासन तथा भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाला है। तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट किया है।
- गिरिवर सिंह राठौड़ 2008 ने अपनी पुस्तक भूमि सुधार एवं भूमि प्रशासनिक व्यवस्था में भू–राजस्व प्रशासन की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालते हुए तहसीलदार के वर्तमान राजस्व प्रशासन के कर्तव्य को भी स्पष्ट किया है।

भर्ती का आशय और महत्व

सार्वजनिक कार्मिक प्रशासन का एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष भर्ती है।सरकारी तंत्र की कार्य कुशलता और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ती पद्धति के स्वास्थ्य परनिर्भरहै। गलीन स्टालिन के अनुसार–' भर्ती सार्वजनिक कार्यक्रमों के संपूण ढांचे की आधार शिलाहै। जब तक भर्ती नीति का निर्माण ठीक से नहीं होता पहले दर्जे के कर्मचारी तैयार करने की आशा बहुत कम है'।

कार्मिक प्रशासन के संदर्भ में पिफनर तथा प्रेस्थस ने कहा है। किसे वावर्ग की भर्ती में केवल कुशल तथा योग्य व्यक्ति का ही चयन नहीं किया जाना चाहिए बल्कि ऐसे निर्णायक कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है। जो संगठन में समन्वय स्थापित कर सके उन्होंने कहा कि केवल यह महत्वपूर्ण नहीं है कि किसी प्रकार से अयोग्य व्यक्ति को उपक्रम से बाहर किया जाए बल्कि महत्वपूर्ण यह है। कि किस प्रकार से राज्यों को अधिक सेवाएं प्रदान की

Crossref DOI:10.47997/SDES-IJIR/2.5.2021. ISSN (O): 2582:7162
https://shreedadueducational.com/journal

जा सकती है। तथा उनकी संस्थाओं को किस प्रकार से निश्चित करके देखा जाए कि प्रत्येक व्यक्ति उस पद के लिए उपयुक्त है। जहां पर वह कार्य कर रहा है।

मार्शल डिमॉक के अनुसार 'भर्ती का अर्थ सही व्यक्ति को एक विशेष कार्य पर लगाना है। हमें बहुत सारे कर्मचारी प्राप्त करने के लिए भी विज्ञापन देना पड़ेगा और विशेष कार्य के लिए योग्यता प्राप्त व्यक्ति को ढूंढना होगा।'

राजस्थान में भर्ती व्यवस्था

भारतीय संविधान की धारा 309 में कहा गया है। कि इस संविधान के अंतर्गत बने व्यवस्थापिका के कानून लोक सेवाओं की भर्ती और सेवा की शर्तों को नियमित करेंगे। इस धारा में राज्य के गवर्नर को यह शक्ति दी गई है। कि वह लोग से नियुक्त पदाधिकारियों की भर्ती और परिस्थितियों के बारे में विभिन्न सेवाओं और पदों को नियमित करने के लिए नियमों का सृजन करेगा। राजस्थान सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 166 के अंतर्गत निर्मित कार्य विधिनियम के भाग 4 के कार्य का विभागीय निपटारा 31(8) के अंतर्गत नियुक्ति एवं पदस्थापन के प्रस्ताव सम्मिलित किया है। तथा 31(5) में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य सचिव और सहायक सचिव की नियुक्ति के प्रस्ताव है।

त्हसीलदार सेवामें भर्ती प्रक्रिया

त्हसीलदार सेवामें तहसीलदार के पद पर भर्ती के संबंध में यह जानकारी अवश्य समझी गई है। कि तहसीलदार के पद पर सीधी भर्ती नहीं होती हालांकि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवाओं के साथ राजस्थान तहसीलदार सेवा के लिए भी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जातीहै। राजस्थान तहसीलदार सेवा अधीनस्थ सेवाओं में आती है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य स्तरीय और अधीनस्थ सेवाओं के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से तहसीलदार

सेवा के लिए चयन किया जाता है। जिसे सीधी भर्ती कहा जाता है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर तहसीलदार के पद पर नियुक्ति अधिकारी द्वारा नियुक्त की जाती है। अतः तहसीलदार के पद पर शत–प्रतिशत अप्रत्यक्ष भर्ती की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अतः इस बात की जानकारी हमें तहसीलदारों के साक्षात्कार लेने के पश्चात् हुई है। जिससे उनका कहना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग तहसीलदार सेवा के पद के चुनाव के लिए नियुक्तियाँ तो निकालती है लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान तहसीलदार सेवामें चयनित व्यक्तियोंको कम से कम 5 वर्ष तक नायब तहसीलदार के पद पर कार्य करने के पश्चात् ही वह तहसीलदार पद पर नियुक्ति के पात्र समझे जातेहैं।

अध्ययन के उद्देश्य

1.भूराजस्वप्रशासनमेंतहसीलदारसंवर्गमेंभर्तीव्यवस्था का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

इस शोध में शोधकर्ता ने प्राथमिक व द्वितीयक दोनों समंको का उपयोग किया है।

प्राथमिक समंक–प्राथमिक सामग्री या आंकड़े उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वय घटनास्थल पर जाकर तथा संबंधित व्यक्तियों से साक्षात्कार, प्रश्नावली और अनुसूची द्वारा आंकड़े प्राप्त करता है। प्राथमिक सामग्री एकत्रित करनेके समंक है। प्रथम समस्या से संबंधित व्यक्ति से प्राप्त जानकारी तथा वित्तीय प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा जिनमें अनुसंधानकर्ता स्वयं किसी समूह संगठन के संबंध में आंकड़ों का अवलोकन कर उन्हें रचित करता है।

द्वितीयक समंक– द्वितीयक समंक वह होतेहैं। जो प्रकाशित तथा अप्रकाशित लिखित सामग्री से लिए जातेहैं। तथा उन्हें अध्ययन कर्ता प्रकाशित लेखों, पत्रों, डायरियो, पांडुलिपि आदि से प्राप्त करता है द्वितीय आंकड़े यह सामग्री के प्रमुख स्रोत है

प्रथम व्यक्तिगत प्रलेख तथा द्वितीय सार्वजनिक प्रलेख ।

अध्ययन विन्यास

प्रस्तुत शोध द्वितीयक समंको के माध्यम से पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। शोध के अनुभव मूलक अध्ययन से एकत्रित सूचनाओं को तालिका बंद तरीके से

यथा स्थान पर विश्लेषण किया जाएगा।

1. प्रस्तुत शोधको भू–राजस्व प्रशासन में तहसीलदार संवर्ग की भर्ती व्यवस्था पर किया जायेगा।

राजस्थान तहसीलदार सेवामें भर्ती के सैद्धांतिक पक्ष के साथ ही व्यवहारिक पक्ष का भी आकलन करने का प्रयास किया गया है। की क्या वास्तव में सैद्धांतिक बातों को व्यवहार में अपनाया जाता है। इसलिए अनुभव मूल्य अध्ययन के रूप में तहसीलदार सेवा एवं प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से भर्ती संबंधी जानकारी प्राप्त की गई है।तहसीलदार सेवा एवं प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से भर्ती के प्रकार के बारे में जानकारी करने पर जो वास्तविक जानकारी दी उसका विवरण निम्न तालिका में है।

भर्तीअभिकरण के नाम का विवरण

भर्तीअभिकरण का नाम	सीधीभर्तीवाले		पदोन्नतिवाले		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
राजस्थान लोक सेवा आयोग	60	100.0	5	8.3	65	54.2
राजस्थान राजस्वमंडल अजमेर	–	–	47	78.4	47	39.2
राजस्थान प्रशासनिक सेवा	–	–	8	13.3	8	6.6
उत्तरदाताओं की संख्या	60	100.0	60	100.0	120	100.0

निष्कर्षः–निम्नतालिका के अनुसार उत्तरदाताओं की सूचना से ज्ञात होता है। भर्ती कि सीधी भर्ती वाले उत्तरदाताओं में शत–प्रतिशत राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चयनित होकर तहसीलदार की सेवामें आये हैं।

Crossref DOI:10.47997/SDES-IJIR/2.5.2021. ISSN (O): 2582:7162
https://shreedadueducational.com/journal

पदोन्नति वाल `उत्तरदाताओं में 5(8.3%) राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा 47 (78.4%), राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर व 8 (13.3%) राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं द्वारा पदोन्नत किये गय`है। अतः तहसीलदार के पद सबसे अधिक तहसीलदार राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से चयनित है।

उत्तरदाताओं के अनुसार भर्ती की उपयुक्त प्रणाली

भर्ती की उपयुक्त प्रणाली	सीधीभर्तीवाले		पदोन्नतिवाले		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सीधीभर्ती	16	26.7	—	—	16	13.3
पदोन्नति	—	—	11	18.3	11	9.2
दोनों	44	73.3	41	68.3	85	70.8
प्रत्युतर नहीं दिया	—	—	8	13.4	8	6.7
उत्तरदाताओ के संख्या	60	100.0	60	100.0	120	100.0

डपरोक्त तालिका के अनुसार चयनित अधिकांश उत्तरदाताओं के विचार से तहसीलदार के पद पर सीधी भर्ती व पदोन्नति दोनों तरीकों को भर्ती की उपयुक्त पद्धति बताया गया है।

सीधी भर्ती वाले उत्तरदाताओं से 16 (26.7%) भर्ती हुए हैं। तथा दोनों प्रणाली से 44 (73.3%) भर्ती हुए हैं। तथा पदोन्नति वाले उत्तरदाताओं से 11(18.3%) दोनों प्रणाली से 41(68.3%) तहसीलदार सेवामें आये है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1 पांडे राज लैंड रिफॉर्म्स एंड सोशलचेंज, शोधक, जयपुर नवंबर 1983

2 राठौड़, जी. एस. ,राजस्थान में तहसील प्रशासन ,मित्तल पब्लिकेशन, दिल्ली 1988

3 गुप्ता, बी.एल एव राम, पेमा, मध्यकालीन भारत का इतिहास, जयपुर पब्लिशिंग हाउस जयपुर 1997

4 शर्मा, एल. पी., मध्यकालीन भारत, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा

5 मेनन, वी.डी.,दिस्टोरी ऑफ़ दिइंटी ग्रेशन ऑफ इण्डिया स्टेट, बॉम्बे

6 ओरियेन्ट लोग मंसलि.

7 राजस्थान जागीरदारी एवोल्यूशन कमेटी रिपोर्ट 1949

8 राजस्थान स्टेट लैंड कमिशन रिपोर्ट 1959

9 राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के सौजन्य से प्राप्त जानकारी

10 दी राजस्थान तहसीलदार सेवा रूल्स 1956

11 राजस्थान गजट एक्ट ऑर्डिनरी न.–57

12 नोटिफिकेशननं. एफ–1(4) डी. ओ. पी. /ए–11/73

13 स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिशन अजमेर

14 जैनसी. एम. एवंराठौड़ हरिश्चंद्रपूर्वोत्तरअभ्यास 6

15 माथुर, सावतमल, राजस्थानसेवानियम ,भागप्रथम 1992

16 भारत का सविधान, अनुच्छेद 318